

11.3.20

पत्रावली पेश हुई। वक्त अदालत बार-  
बार आवाज लगाई गई। प्रार्थी वकील  
या स्वयं प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी  
सं. २ के वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी/  
स्वयं प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर  
प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम हाजरी, अदम  
पैश्वी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
दर्जनम्बर से कम है। बाद तक मील कोख  
दफतर है।

७२ नो. ५६

भतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),  
जयपुर